न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 273/2021

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. ओमाराम पुत्र गोकलराम 2. दुर्गाराम पुत्र गोकलराम 3. पप्पूराम पुत्र मांगीलाल 4. भगवानाराम पुत्र मांगीलाल 5. भागीरथराम पुत्र मांगीलाल 6. भींयाराम पुत्र मांगीलाल 7. मोहनराम पुत्र गोकलराम (जाति जाट, निवासी रामपुरा भाटीयान, तह0 तिवंरी जिला जोधपुर)		1. राज0 राज्य तहसीलदार तिवंरी 2. धन्नाराम पुत्र पोलाराम 3. पप्पूराम पुत्र किशनाराम (जाति जाट, निवासी गोदारों की ढाणीयां, ग्राम रामपुरा भाटियान, तहसील तिवंरी, जिला जोधपुर)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी ओसियां राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 – आदेश कमांकः सम/कोर्ट /2017/68 दिनांक 01.05.2018

उपस्थिति –
1. श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, वकील अपीलांट्स
2. श्री बुद्धाराम चौधरी, वकील रेस्पो0सं0 2 व 3
3. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक 03.09.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी ओसियां के अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2018 के द्वारा तहसीलदार तिवंरी के प्रस्ताव पर राजस्व ग्राम रामनगर के खसरा नं0 529, 530, 531, 533, 533/1, व 534 की भूमि में रास्ते में उपयोग हो रही उल्लेखित रकबा भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में विद्यमान कदीमी रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट के खसरा नम्बर 531 की भूमि में से 08 बिस्वा भूमि को गै0मु0 रास्ता घोषित किया गया है। जबकि अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में से न तो कोई रास्ता निकलता है और न ही किसी को रास्ता दिया गया है। आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया। अपीलाधीन आदेश की पालना में तहसीलदार तिवंरी द्वारा म्युटेशन संख्या 278 दिनांक 29.09.2020 स्वीकृत कर दिया गया है। उक्त ना0क0 की पुष्ट पर अंकित नक्शे से स्पष्ट है कि अन्य खसरों से रास्ते की भूमि दोनों तरफ के खसरों में से काटी गई है, जबकि अपीलांट्स के मामलें में सिर्फ अपीलांट्स के खातेदारी की भूमि में से ही रास्ता काटा गया है, उसके सामने वाले खसरे में से कोई रास्ता नही काटा गया है, जो न्यायसंगत नही है। वर्तमान में धारा 251ए राज0 टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत किसी खातेदार को आवश्यकता होने पर विधिवत कार्यवाही के तहत रास्ता दिया जा सकता है। आरएलआर एक्ट की धारा 131 व 136 के तहत किसी प्रकार का रास्ता नही दिया जा सकता है। अतः अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध होने से अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अपीलांट्स के खसरान की हद तक अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 2 व 3 के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि उल्लेखित खसरान की भूमि में से मौके पर सार्वजनिक रास्ता चालू है। जिसका उपयोग ग्रामवासी आवागमन के रूप में कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी किए गये थे। तहसीलदार तिवंरी द्वारा तहसील तिवंरी के पटवार मण्डल रामपुरा भाटियान के राजस्व ग्राम रामनगर के प्रस्ताव संख्या (1) कटाणी रास्ता खसरा नं0 541 से लेकर कटाणी रास्ता खसरा नं0 509 के बीच तक रास्ता दर्ज करने के प्रस्ताव पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर रास्ता चालू होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते की भूमि को गै0मु0 रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया गया है। जिसकी राजस्व रेकर्ड में जरिये ना0क0 संख्या 278 दिनांक 29.09.2020 द्वारा पालना हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट खारिज कर, अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मतः निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार तिवंरी से प्राप्त प्रस्ताव कर की गई है। आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के OFFICE NOTE में अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी करने का उल्लेख अवश्य है, मगर उसकी तामिली अथवा अदम तामिली या सुनवाई का उल्लेख नही है, बल्कि सीधे ही आदेश प्रस्तावित किया गया। इससे अपीलांट का यह कथन कि प्रथतः उसे नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया, साबित है। द्वितीय उक्त रास्ता अपीलांट के खसरान में एक तरफ ही काटा गया है, नजरी नक्शे से साबित है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांकः 68 दिनांक 01.05.2018 को अपीलांट के ख0नं0 531 में से रास्ते की रकबा भूमि तक निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट्स एवं सभी संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से 03 माह में विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्षकारान को सूचित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष दिनांक 18.09.2024 को उपस्थित हो।

निर्णय आज दिनांक 03 सितम्बर, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

03.09.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर